

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : KUCHAMAN CITY

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 26-06-2025 5:38 PM

Fee Receipt No	: 202502471004697	Receipt Date	: 26/06/2025
Name	: RADHA DEVI SHARMA,	Document S. No.	: 202501471004603
Address	: 00 ,BALAJI MANDIR KE PAS, WARD NO. 07 ,SALASAR ,CHURU		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 100
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 30	Stamp Duty	: ₹ 100
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 50
SiteInspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 280
		Total Amount	: ₹ 280

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 107050875 ₹ 280

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

कृष्णमन सिरी (डीडवाना-कुचामन)
SUB-REGISTRAR



नगर परिषद, कुचामन सिटी (नागौर) राज.

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड/लीज होल्ड)

पत्रावली संख्या : 4646/2022-23

012

संस्थागत

पट्टा संख्या : 12/2023

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

कानाम बी.आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी पुत्र/पुत्री श्री वेगाराम जाति जाट
जयिचे अध्यक्ष श्री गोविन्दा राम शेषमा

पत्नी पति

कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राजस्थान)

खसरा नं. 2463/2027

कुचामन सिटी क्षेत्रफल (वर्गमीटर/वर्गफीट) 4653.19 वर्ग गज

बी.आर. खोखर स्कूल में स्थित है।

य निकाय/पट्टा (पट्टाकर्ता) द्वारा पट्टा-धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 24-01-2023

मादित किया जाता है।

का विवरण: सरकार का हाथ, जनता के साथ 97252/- रु.

गमन/प्रीमियम शुल्क पुनर्गठन शुल्क 140030/- रु.

हा विकास शुल्क संस्थानिक शुल्क 46825/- रु.

ज राशि (एकमुश्त)

पट्टाधारक के हस्ताक्षर



सभापति
नगर परिषद, कुचामन सिटी

श्रवण राम
प्राधिकृत अधिकारी (वे हस्ताक्षर) मोहर
आयुक्त नगर परिषद
कुचामन सिटी

नोट: शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

उच्च पंजीयक
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्य प्रतिलिपि

उच्च पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

मंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।

Registered and Endorsement Attached



संस्थागत

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड/लीज होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त जा सकेगा।
9. अन्य.....

लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें


1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि..... प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. अन्य.....

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि

284107/-

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण :

रामकरण, हनुमान कुमावत,
रामदेव कुमावत के मकान,
पूर्व..... लाकृसिंह की भूमि..... पश्चिम..... रास्ता
प्रवीण शर्मा, सुरेश सोनी के मकान,
उत्तर..... सुरेश सोनी, सीताराम सोनी के..... दक्षिण..... मंदिर, अन्ना
प्लॉट, रास्ता 20, 30..... का मकान
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल (वर्गज/वर्गमीटर)....465
मानचित्र संलग्न है।





पट्टा धारक के हस्ताक्षर



हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached


उप-निर्वाहक, नगरपालिका सिटी
जिला-..... कुचामन


श्रवण राम
(प्राधिकृत अधिकारी)
आयुक्त नगरपरिषद
कुचामन सिटी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर



पट्टा सं. :- 12/2023

प. सं. :- 4646/2022-23

यह पाईपेपर पट्टा संख्या 12/2023 का भाग है।

शिवराम



श्रवण राम
(प्रधिकृत अधिकारी)
आयुक्त नगरपरिषद
कुचामन सिटी

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीवक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

Presentation Endorsoment

आज दिनांक 25 माह 01 सन् 2023 को 03:56 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री B R KHOKHAR MEMORIAL SHIKSHAN SANSTHAN
KUCHAMAN CITY JARIYE ADHYAKSH GOVIND RAM SHESHMA
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BEGA RAM
उम्र 50 वर्ष, जाति 0-JAT, व्यवसाय Business
निवासी House No.:00, Colony: KUCHAMAN CITY, Area: KUCHAMAN
CITY, City: KUCHAMAN CITY, Pin code: 341508, District: NAGAU,
State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202301471000777

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
KUCHAMAN CITY

Lease deed after regularization under 90A

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302471000793
दिनांक	25-01-2023
पंजीयन शुल्क ₹	2842
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	17047
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	5115
कुल योग	25304

202301471000777

Lease deed after regularization under 90A

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 71324454 ₹ 25304

उप पंजीयक, KUCHAMAN CITY

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना, कुचामन

पट्टा सं. :- 12/2023

प. सं. :- 4646/2022-23

यह पाईपेपर पट्टा संख्या 12/2023 का भाग है।

शुभम राम






शुभम राम
(प्रधिकृत अधिकारी)
आयुक्त नगरपरिषद
कुचामन सिटी

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन







Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री E.O. NAGAR PALIKA MANDAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री KUCHAMAN CITY, व्यवसाय जाति Nagar Palika			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री B R KHOKHAR MEMORIAL SHIKSHAN SANSTHAN KUCHAMAN CITY JARIYE ADHYAKSH GOVIND RAM SHESHMA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BEGA RAM , व्यवसाय Business जाति O-JAT House No.:00, Colony: KUCHAMAN CITY, Area: KUCHAMAN CITY, City: KUCHAMAN CITY, Pin code: 341508, District: NAGOUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 50 Signature : 

ने लेख्यपत्र Lease deed after regularization under 90A को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 284107/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 284107/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री SUBHASH CHOUDHARY, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GOPAL SINGH जाति JAT Age: 28 Add: House No.:00, Colony: SHESHMA KI DHANI, Area: SHESHMA KI DHANI, City: RAJPURA, Pin code: 332718, District: SIKAR, State: RAJASTHAN			Signature 
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KHOKHAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JAGDISH PRASAD KHOKHAR जाति JAT Age: 24 Add: House No.:00, Colony: PURANPURA, Area: PURANPURA, City: PURANPURA, Pin code: 332030, District: SIKAR, State: RAJASTHAN			Signature 

202301471000777

उप पंजीयक, KUCHAMAN CITY

Lease deed after regularization under 90A


उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डी.डू.वा.रा. कुचामन

पट्टा सं. :- 12/2023

प. सं. :- 4646/2022-23

यह पाईपेपर पट्टा संख्या 12/2023 का भाग है।

शिवचामन



श्रवण राम
(प्रधिकृत अधिकारी)
आयुक्त नगरपरिषद
कुचामन सिटी

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 284107 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 17047 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 2842, सरचार्ज राशि 5115 कुल रु 25004 रसीद संख्या 202302471000793 दिनांक 25-01-2023 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 17047 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202301471000777

उप पंजीयक, KUCHAMAN
CITY

Lease deed after regularization under 90A

Registration Endorsement

आज दिनांक 25/01/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 483 में
पृष्ठ संख्या 3 क्रम संख्या 202303471100532 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1761 के
पृष्ठ संख्या 61 से 70 पर चस्पा किया गया।


202301471000777

उप पंजीयक, KUCHAMAN CITY

Lease deed after regularization under 90A


सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन



SITE PLAN
SCALE 1"=50'

पट्टा संख्या 12/2023
खसामती संख्या 4646/2023



श्रवण राम
(प्रधिकृत अधिकारी)
आयुक्त नगरपरिषद
कुचामन सिटी

(Signature)
APPLICANT

PLAN IS CORRECT

AREA ANALYSIS :-

PROPOSED SITE SHOWN IN RED

TOTAL LAND AREA :- 41878.75 SQ. FT. 4653.19 SQ.YDS., 3890.06 SQ.MTR.

SITE PLAN SHOWING , FOR INSTITUTIONAL PURPOSE OF LAND AT

IN KH. NO.- 2463/2027 AT B.R.KHOKHAR SCHOOL

KUCHAMAN CITY. (NAGOUR)

APPLICANT :-

B.R. KHOKHAR MEMORIAL SIKSHAN SANSTHAN KUCHAMAN CITY JARIYA

SH. GOVINDA RAM SESAMA S/O SH. BEGA RAM

Amit
Architect & Consultant
Reg. No :- 797
Near Kalyan Mandap,
Kuchaman city (Nagaur)

Email id:- amitarchitectconsultant@gmail.com
Mob. no:-8118850456, 7073984304

(Signature)
सत्यप्रतिलिपि

अप पंजीयक, कुचामन सिटी
शिला-डीडवाना-कुचामन

Registration Endorsement

आज दिनांक 25/01/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 483 में
पृष्ठ संख्या 3 क्रम संख्या 202303471100532 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1761 के
पृष्ठ संख्या 61 से 70 पर चस्पा किया गया ।

202301471000777

Lease deed after regularization under 90A

उप पंजीयक, KUCHAMAN CITY

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

320
रख रखवा...
मौज देने की दरखास्त... 26-06-25
रख रखवा... 26-06-25
मौज देने... 26-06-25
रख रखवा... 280
मौज देने... फ्रीयुट
रख रखवा... हस्तक्षेप
मौज देने... 26-06-25

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : KUCHAMAN CITY

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 25-06-2025 12:30 PM

Fee Receipt No	: 202502471004620	Receipt Date	: 25/06/2025
Name	: MAHENDRA KUMAR,	Document S. No.	: 202501471004526
Address	: ...		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 100
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 30	Stamp Duty	: ₹ 100
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 50
Site/Inspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 280
		Total Amount	: ₹ 280

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan: 106953870 ₹ 280

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

उप-रजिस्ट्रार

धुरामन सिंघी (Sub-Registral Kuchaman)

कुचामन सिटी (नागौर) राज.

शहरी जमाबन्दी के आधार पर ~~अवधि~~ प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा-विलेख

संख्या निम्न

नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 90 "ख" के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 3/9/2007 को आवंटन/पत्रावली संख्या 1525/07 पट्टा संख्या 1286/07


नगरस्थान के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर

श्रीमती बी.आर. खोशख्त मैमोरिथल शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी

श्रीमती जोरिए सचिव श्री जगदीश प्रसाद अंनमदलाल

जगह व्यवसाय

जगह कुचामन सिटी जिला: नागौर



जिसे इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में

उन्हें उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधी और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा

गया है।

जगह का साक्षी है कि रूपये 28335 अक्षरे उरगईस हजार तीन सौ पैंतीस रुपये

की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार

करी है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में

सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया

नियमन और पुनः आवंटित करती है जो नगरपालिका क्षेत्र, कुचामन वार्ड नं. 19, बी.आर. खोशख्त में स्थित है और

जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपण वर्णित है तथा जिसका

परिशिष्ट रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु

लिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग,

संरक्षण और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99

वर्ष होगी।

(अ.) पट्टेदार, नगर पालिका कुचामन के कार्यालय में अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य

स्थान पर प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर की 2.5% की दर से शहरी

जमाबन्दी जमा करायेंगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल

की जायेगी।

(ब.) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा।

साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी

जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि की 2.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।

शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण

पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।

उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण

राजिव हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी

के अन्तर्गत प्रतिनिधी के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।

मुख्य प्रतिनिधी, कुचामन सिटी
जगदीश प्रसाद अंनमदलाल
नगर पालिका कुचामन सिटी

अधिसायी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी

मुख्य अधिकारी
कुचामन सिटी, जिला-नागौर

5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर संस्थान के प्रयोजन भवन या भवनों के बने भूखण्ड का अन्यथा उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि भूखण्ड रिक्त है तो उस पर निर्माण नगरपालिका के बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार करना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
भूखण्ड पर निर्माण नगरपालिका से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।
7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
8. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण /नामान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार करवाना होगा।
9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पदों में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।
10. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।
11. रास्ते या जनहित में आवश्यकता होने पर भूमि छोड़नी होगी।

नोट:- इस भूखण्ड की नियमन राशि रु. 28335/- द्विगुण हजार तीन सौ पचास है।
 अतएव स्टाम्प 1000 + 1000 = 2000/- दो हजार के बहसियत पंजीयन इसके साथ लगाये जाते हैं। स्टाम्प एवं पंजीयन का खर्चा पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

भुजाओं का नाप :- पूर्व.....	56.66 गज, पश्चिम.....	56.66 गज
उत्तर.....	16.66 गज, दक्षिण.....	16.66 गज
क्षेत्रफल :.....	8500.00 वर्ग फुट (344.44 वर्ग गज)	
सीमाओं के पडोस :- पूर्व में	आम रास्ता 20 फुट का	पश्चिम में श्री. आर. खोशर मे प्रो. इमरान खान की जमीन
उत्तर में	श्री. भंवरलाल शर्मा के लाल	दक्षिण में श्री. लाइविट्ट की जमीन
	एवं आम रास्ता 20 फुट का	

कुचामन सिटी
 हस्ताक्षर पट्टेदार
रश्मि
 एवं दस्तावेज

कुचामन सिटी
 अध्यक्ष
 नगर पालिका कुचामन सिटी
 न. पा. कुचामन सिटी

कुचामन सिटी
 प्राधिकारी
 नगर पालिका कुचामन सिटी
 न. पा. कुचामन सिटी

5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर संस्थान के प्रयोजन भवन या भवनों के बने भूखण्ड का अन्यथा उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि भूखण्ड रिक्त है तो उस पर निर्माण नगरपालिका के बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार करना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
भूखण्ड पर निर्माण नगरपालिका से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।
7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
8. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण /नामान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार करवाना होगा।
9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पदों में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।
10. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।
11. रास्ते या जनहित में आवश्यकता होने पर भूमि छोड़नी होगी।

नोट:- इस भूखण्ड की नियमन राशि रु. 28335/- द्विगुण हजार तीन सौ पचास है।
 अतएव स्टाम्प 1000 + 1000 = 2000/- दो हजार के बहसियत पंजीयन इसके साथ लगाये जाते हैं। स्टाम्प एवं पंजीयन का खर्चा पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

भुजाओं का नाप :- पूर्व..... 56.66 गज, पश्चिम..... 56.66 गज
 उत्तर..... 16.66 गज, दक्षिण..... 16.66 गज
 क्षेत्रफल :..... 8500.00 वर्ग फुट (344.44 वर्ग गज)
 सीमाओं के पडोस :- पूर्व में आम रास्ता 20 फुट का पश्चिम में श्री. आर. खोशर मेमोरियल
 उत्तर में श्री. भंवरलाल शर्मा के लाल दक्षिण में श्री. लाइविट्ट की जमीन
 एवं आम रास्ता 20 फुट का

कुचामन सिटी
 हस्ताक्षर पट्टेदार
रश्मि
 एवं दस्तावेज

कुचामन सिटी
 अध्यक्ष
 नगर पालिका कुचामन सिटी
 न. पा. कुचामन सिटी

कुचामन सिटी
 प्राधिकारी
 नगर पालिका कुचामन सिटी
 न. पा. कुचामन सिटी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000



राजस्थान

राजस्थान RAJASTHAN

उपकोष नम्बर (गैर-नै)

922354



विक्रय प्रमाण पत्र संख्या... 1286/07
पत्रावली संख्या... 1525/07
स्टाम्प पूर्ति हनु संलग्न है।

मुख्य अधिकारी
नगर पालिका कुचामन सिटी

प्रविशद्वर्ती अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी

मुख्य इंजीनियर
कुचामन सिटी, जिला-नाकोट (राज.)

नगरपालिका, कुचामन सिटी
जिला-नाकोट, राजस्थान

सर्वकारी अधिकारी
सर्वकारी अफिसरी
पास भवन निर्माण
पालिका के निर्माण
किसी ऐसे आशय
कारी की लिखित
लाने की अनुमति
दे किसी भी शर्त
हेत उक्त भूखण्ड
6.66 गज
6.66 गज
3.21 गज
अधिकारी
कुचामन सिटी
न. सिटी

Handwritten text at the top left, possibly a name or title.

Handwritten text below the first line, possibly a name or title.

Handwritten text in the middle, possibly a name or title.

3-9-2007

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or text on the right side.

Printed text on the right side, possibly a stamp or header.

बाज दिनांक 11/9/07 को
उप पंजीयक कुचामन सिटी के कार्यालय
में श्री अशुभानाथ E-0. 9.41. 0447
पुत्र जाति
उम्र निवासी
द्वारा प्रस्तुत किया गया।

Handwritten signature
उप पंजीयक कुचामन सिटी

92

Handwritten signature or initials.

रसीद संख्या 75
दिनांक 11/9/07
पंजीयन शुल्क 215
मोका शुल्क
पुनः शुल्क
विशेष शुल्क 100
कमी शुल्क
योग 415

Handwritten signature
उप पंजीयक कुचामन सिटी

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डोंडवाना-कुचामन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

रजस्थान
Rs.1000

17 AUG 2007

सत्यमेव जयते


INDIA


राजस्थान RAJASTHAN

922349



विक्रय प्रमाण पत्र संख्या..... 1286/07
प्रचावली संख्या..... 1525/07
रजस्थान पूर्ण हस्त संलग्न है।


अधीक्षक


प्रधिग्रहीता अधिकारी

नगर पालिका कुचामन सिटी बगरपालिका, कुचामन सिटी



अधीक्षक

कुचामन सिटी जिला-कोटा (राज.)


सत्य-प्रतिलिपि

अध-पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

MAP FOR PATTA (NIYAMAN)

बी. आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
 जरिये - सचिव जगदीश प्रसाद खोखर पुत्र श्री नन्द लाल खोखर
 बार्ड नं. 19, खसरा नं. 2025, 2026, 2027, 2463 / 2077, कुचामन सिटी तह. नावां, जिला, नागौर

PLOT AREA = 50'-0" X 170'-0" = 8500.00 Sq.Ft.
 = 944.34 Sq.Yd.
 = 789.55 Sq.Mt.



श्री लालू सिंह की कृषी भूमि

20'-0" रास्ता

70 प्लॉट संख्या..... 1286/07
 पत्रावली संख्या..... 1525/07

अध्यक्ष
 प्राधिका
 नागौर पालिका, कुचामन सिटी तह. नावां, जिला, नागौर

नोट :- लाल स्याही से अंकित भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाना चाहते हैं।

SCALE= 1" = 50'

PLOT AREA SHOWN IN RED

जगदीश प्रसाद खोखर पुत्र श्री नन्द लाल खोखर
 बार्ड नं. 19, खसरा नं. 2025, 2026, 2027, 2463 / 2077, कुचामन सिटी तह. नावां, जिला, नागौर

SIG. OF APP.

बाप दिनांक 12/9/07 को पुस्तक सं०.....
 जिल्द सं० 119 के पृष्ठ सं० 38 क्रम सं० 1786/4
 पर पंजीयक क्रिया... अतिरिक्त पु०
 सं०..... जिल्द सं० 34.....पृष्ठ सं० 175-178
 रच बरसा किया गया।

उप पंजीयक कुचामन सिटी
 जिला-नागौर (राज.)

305
 25-06-25
 25-06-25
 25-06-25
 2801
 25-06-25

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
 जिला-नागौर (राज.)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : KUCHAMAN CITY

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 25-06-2025 12:45 PM

Fee Receipt No	: 202502471004623	Receipt Date	: 25/06/2025
Name	: MANISH DHAKA,	Document S. No.	: 202501471004529
Address	: ...		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 100
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 30	Stamp Duty	: ₹ 100
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 50
SiteInspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 280
		Total Amount	: ₹ 280

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 106937922 ₹ 280

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

उप पंजीयक

कुचामन सिटी (राजस्थान, कुचामन)

कार्यालय नगरपालिका मण्डल

कुचामन सिटी (नागौर) राज. 5)

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 "ख" के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 12/6/2002 को आवंटन/विक्रय-पत्र संख्या 15

पत्रावली संख्या 524



को राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया

श्री/श्रीमती 1. श्री गोकुलदास राम % के. गाराम सेलमा

पुत्र/पत्नी 2. अगदीश उदाय % नन्दलाल रैकरव

जाति जाट व्यवसाय बैली

निवासी राजपुरा, किलवा की बागी, हा. कुचामन सिटी



(जिनको इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इवादात में जहाँ कहीं प्रसंग से वैंसा अर्थ निकल, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधी और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रूपये 39180/- अक्षरे उन्चाकीम हजा एव लै केसी

पत्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा रवीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है जो नगरपालिका क्षेत्र, कुचामन वार्ड नं. 15 में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारोंके अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. (अ.) पट्टेदार, नगर पालिका कुचामन के कार्यालय में अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर की 2.5% की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जायेगी।
(ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि की 2.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।
3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हरतान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिधर्षित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्दिशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।

अध्यक्ष

प्रदेशाधी अधिकारी

नगर पालिका कुचामन सिटी नगरपालिका, कुचामन, सिटी

सत्यप्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

उप अध्यक्ष
जिला-नागौर (राज.)

5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर 21 का सीमा भवन या भवनों के बनवाने में ही है। भूखण्ड का अन्यथा उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6. यदि भूखण्ड रिक्त है तो उस पर निर्माण नगरपालिका के बिल्डिंग याइलॉज के अनुसार करना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

भूखण्ड पर निर्माण नगरपालिका से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।

- 7. इस लैंड डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
- 8. आर्यंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर प्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण /नामान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार करवाना होगा।
- 9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पदों में निर्देशित आशय के अरंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतद्धर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लायेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।
- 10. पट्टेदार द्वारा आर्यंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जायेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जायेगा।

नोट :- इस भूखण्ड की नियमन राशि रु 39180/- है।

अतएव स्टाम्प 1000 x 4 + 100 x 3 + 10 = 4310/-

के बहसियत पंजीयन इसके साथ लगाये जाते हैं। स्टाम्प एवं पंजीयन का खर्चा पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

भुजाओं का नाप :- पूर्व	(160'6")	53.5	गज, पश्चिम	(160')	53.33	गज
उत्तर	(55')	18.33	गज, दक्षिण	(55')	18.33	गज
क्षेत्रफल :	(8813.75 वर्ग फीट)		979.33 वर्ग गज			
सीमाओं के पड़ोस :- पूर्व में	श्री अंका जगत श्रीमती मणी		पश्चिम में आम रास्ता			
	उत्तर में श्री अंका जगत श्रीमती मणी		दक्षिण में श्री लाला बिन (160'3" नी मणी)			

अधिकारी

हस्ताक्षर पट्टेदार

अधिकारी
अधिकारी
नगरपालिका कुचामन सिटी

अधिकारी
अधिकारी
नगरपालिका कुचामन सिटी

उप पंजीयक
कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज. 3)

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

राज्य सरकार
मंत्रालय में प्रदत्त
न के सम्बन्ध में

S2 राजस्थान 1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

₹ 1000

RS 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

3 JUN 2021
राजस्थान

संख्या सं० 151/02 पंजीयकी सं० 528/02
प्रतिलिपि पूति हेतु संलग्न है।



उपपंचायक, कुचामन सिटी
नगरपालिका, कुचामन सिटी नगरपालिका, कुचामन सिटी



उप पंचायक
कुचामन सिटी, जिला-जापुर (राज.)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

उपपंचायक कुचामन सिटी

सत्य प्रतिलिपि

उप पंचायक, कुचामन सिटी
जिला-जापुर, कुचामन

1365

व्यक्तिगत वसुली का नोटिस

श्री. राजेश कुमार

वसुली अधिकारी

राजेश कुमार वसुली

14-6-2002

श्री. राजेश कुमार

वसुली का प्रकार: 1000 रु.
 वसुली का समय: 1000 रु.
 वसुली का स्थान: 1000 रु.
 वसुली का नाम: 1000 रु.

21-6-2002

3.00 रु.

वसुली का प्रकार..... को समय.....
 उप वसुलीयक कुचामन सिटी के कार्यालय
 में वसुली प्रस्तुत किया गया।
 वसुली का नाम.....
 वसुली का स्थान.....
 वसुली का प्रकार.....

राजेश कुमार

उप वसुलीयक कुचामन सिटी

वसुली का प्रकार.....

21-6-2002

वसुली का प्रकार.....
 दिनांक.....
 वसुलीयक शुल्क..... 392-
 मोका-शुल्क.....
 पृष्ठांकन शुल्क..... 35-
 विविध शुल्क..... 15-
 कमी मुद्रांक शुल्क.....

योग 442-

उप वसुलीयक कुचामन सिटी

सत्य प्रतिलिपि

उप वसुलीयक, कुचामन सिटी
जिला-छोड़वाना-कुचामन

24

राजस्थान

53

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

₹ 1000

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

श्री नारायण कर्माचार्य एवं सहकारियों

विक्रय पत्र सं० 151/12 पञ्चायती सं० 528/02

स्थाप्य पूर्ति हेतु संलग्न है।



अध्यापक, नगर पालिका कुचामन सिटी, नगरपालिका, कुचामन सिटी



पञ्चायत
कुचामन सिटी, जिला-वाणी (राज.)

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

कार्यालय उप पंजीयक कुचामन सिटी

निपटल पत्र

आप वरु सहायक निपटल पत्र
 को कामना सिंह - दो
 जति निपटली म.प्र. कच (कुचामन) सिटी
 प्रमाण पत्र निपटक बहक श्री गो. सिंहराम
केशव जाति उमर
 निपटली में, करवाकर प्रमाणपत्र
 की राशि ₹ 3700 बाहर कियेलिय के सिवा
 स्वीकार की परत विज पर अपने हस्ताक्षर व
 धनुष निपट। कोमा स्वीकार किया। पत्रकर
 कुचामन को पत्र होना स्वीकार किया। निपटालन
 कर्ता श्री राम केशव गो. सिंहराम
 पुत्र गो. सिंहराम कुचामन
 निवासी कुचामन
 की रकम पहिचानत है। निपटली में
 परिचित है अतः हस्ताक्षर/पत्रियन हेतु स्वीकार
 किया गया। दिनांक 21/6/22 प्रस्तुत कर्ता

श्री. कामना सिंह
 S/O गणेश लाल कामना
 नि. कुचामन सिटी

उप पंजीयक कुचामन सिटी

AL 

राम केशव

सत्य प्रतिलिपि
 उप पंजीयक, कुचामन सिटी
 जिला-डोंडवाना-कुचामन



54

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

₹ 1000

Rs 1000

सत्यमेव जयते
भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

15/12 528/02
स्टाम्प पूर्ति हेतु संलग्न है।



अध्यक्ष
नगर पालिका कुचामन सिटी



उप पंजीयक
कुचामन सिटी, जिला-नागपुर (राज.)

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डोंडवाना-कुचामन

55

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

₹ 1000

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

विशेष पत्र सं० 151/02 पत्रावली सं० 528/02
स्वीकृत्य प्रति हेतु संलग्न है।



[Signature]

अध्यक्ष
नगर पालिका कुचामन सिटी

[Signature]

प्रथिशाही अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी



[Signature]

उप सचिव
कुचामन सिटी, विजा-बावीर (राज.)

संस्थ प्रतिलिपि

उप सचिव, कुचामन सिटी
जिला-बीरवांग-कुचामन

56

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

RS 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

03 JUN 2002

दिक्रय पत्र सं० 151/02 असाधली सं० 520/02
स्वास्थ्य पूर्ति हेतु संलग्न है।



172

अध्यक्ष
नगर पालिका कुचामन सिटी

अधिष्ठापी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी



अप पंजीयक
कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)

सत्य प्रतिस्विपि

अप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

राजस्थान

57

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

RS 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

28 JUN 2008

विज्ञाप पत्र सं० 151/02 पचावली सं० 528/02
वाम्बे पूति हेतु संलग्न है।



(Signature)

अध्यक्ष

नगर पालिका कुचामन सिटी

(Signature)

अधिसाधी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी

(Signature)

उप प्रजायक
कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)



(Signature)
साध्य प्रतिलिपि

उप प्रजायक, कुचामन सिटी
जिला-डीडघाना-कुचामन

100 Rs

INDIA NON JUDICIAL

₹ 100

RS 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

बिन्दव पत्र सं० 151/02 एनएनएली सं० 528/02
स्वाम्य पूर्ति हेतु संलग्न है।

अध्यक्ष
नगर पालिका कुचामन सिटी

प्रशासकी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी



उप प्रजायक
कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)

सत्य-प्रतिलिपि

उप प्रजायक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

59

विपस्थान



नवीन-पत्राधिकार



बिक्रय पत्र सं० 151/62 पचावली सं० 520/62
स्वाम्य पूति हेतु संलग्न है।

(Signature)

अध्यक्ष

नगर पालिका कुचामन सिटी

(Signature)
अधिसूची अधिकारी

नगरपालिका, कुचामन सिटी



डिप्टी पंजीयक कुचामन सिटी
(राज्य) नागपुर-नागपुरी

(Signature)

उप पंजीयक

कुचामन सिटी, जिला-नागपुर (राज्य)

सत्यप्रतिनिधि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

21-6-2002

बाब विषयक.....को पुस्तक सं०.....⁶
जिल्ह सं० 60 के पृष्ठ नं० 117 क्रम सं० 147
पर पंजीयत किया गया तथा बतिरिक्त पु० 2002
सं०.....जिल्ह सं० 149 पृष्ठ सं०.....
पर बतया किया गया। 51-60

उप पंजीयक कुचामन सिटी
जिला-नागौर (राज.)

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

श्री भंवरलाल पुत्र
श्री गोरधन लाल
की जमीन

आ

न

रा

र

ता


20'

55'

160'

160'-6" की जमीन

श्री भंवरलाल पुत्र
श्री गोरधन लाल
की जमीन



श्री लादसिंह राठौड की जमीन

कृषि भूमि नियमन:-

मूल प्रार्थी-श्री गोविन्दाराम पुत्र श्री बेगाराम

श्री जगदीश आद पुत्र श्री नन्दलाल

उत्तरा न-2463/2027 कुचामन सिटी

मूल जमीन-

उत्तर-दक्षिण
55'

$$\frac{\text{पूर्व-पश्चिम}}{2} = \frac{160' + 160'6''}{2}$$

$$= \text{क्षेत्रफल} = 8813.75 \text{ वर्गफुट}$$

$$= 979.30 \text{ वर्गगज}$$

ENGINEERS CONSULTANTS

OFFICE NO. 57/2011

10, KANAL ESH, KUMAWATI

जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि की 2.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।
सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि की 2.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।

3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण बाजिर हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।



अध्यक्ष


परिशाही अधिकारी

नगर पालिका कुचामन सिटी नगरपालिका, कुचामन सिटी

सत्य प्रतिद्विपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन


उप वजीयक
नगरपालिका, जिला-नागौर (राज.)

307

अथवा लजबंद...
गोख देने की तस्वीर... 25-06-25
गोख देने का प्रयोग... 25-06-25
गोख देने का नमूना... 25-06-25
अथवा लजबंद... 280
गोख देने का प्रयोग... फोटोरोड
अथवा लजबंद... 25-06-25

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : KUCHAMAN CITY

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 25-06-2025 12:29 PM

Fee Receipt No	: 202502471004619	Receipt Date	: 25/06/2025
Name	: MAHENDRA KUMAR,	Document S. No.	: 202501471004525
Address	: ...		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 100
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 30	Stamp Duty	: ₹ 100
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 50
SiteInspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 280
		Total Amount	: ₹ 280

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 106953522 ₹ 280

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier


Signature of recipient
and date of receipt

उप वजीयक
कुचामन सिटी (दीडवाना-कुचामन)
SUB-REGISTRAR

05 11:08:05



स्थान RAJASTHAN




शुद्धि-पत्र




संपादक :- नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी तहसील, डीडर, राजस्थान।

हक :- बी. आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान जरिए अध्यक्ष श्री गोविन्दराम पुत्र श्री बेगाराम शेषमा एवं मंत्री श्री जगदीशप्रसाद पुत्र श्री नन्दलाल खोखर जाति- जाट, निवासी राजपुरा, किलका की ढाणी, हाल निवासी कुचामन सिटी।

यह शुद्धिपत्र इस आशय का लिखा जाता है कि नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी के द्वारा पत्रावली संख्या 528/2002 के अनुसार पट्टा संख्या 151/2002 दिनांक 07.06.2002 को जारी किया गया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कुचामन सिटी के कार्यालय में दिनांक 21.06.2002 को क्र.सं. 147/2002 के अनुसार हुआ था। उपरोक्त पट्टा संख्या 151/2002 में पट्टेदार का नाम जहां श्री गोविन्दराम पुत्र श्री बेगाराम शेषमा व श्री जगदीशप्रसाद पुत्र श्री नन्दलाल खोखर लिखा गया है, वहां पट्टेदार का सही रूप में नाम.....


 अध्यक्ष
 नगरपालिका, कुचामन सिटी



 अधिकारी
 नगरपालिका, कुचामन सिटी(2)

मन्त्र प्रतिलिपि
 उप पंजीयक, कुचामन सिटी
 जिला-डीडर, राजस्थान

S279
20807

नगर प्रालिका कुचामन सिटी वार्ड
राजेश्वरी के सुडिकरण हेतु हस्तक्षेप
शेखना

Sesam



प्रेम प्रसाद घोषिया है, नि
ग्राम विन्धवा, परबतपुर

परिवार
करने हेतु
ठक में
या है, नि
स शुद्धि
नांक :-

कार्य दिनांक 14-9-02 का
उप वंजीयक कुचामन सिटी के कार्यालय
में श्री E.O. राजेश्वरी कुचामन सिटी
पुनर्जाति
द्वारा प्रस्तुत किया गया।
राजेश्वरी
उप वंजीयक कुचामन सिटी

Shur

सादर संख्या 23
दिनांक 14-9-02
वंजीयन शुल्क 100/-
मीना शुल्क
प्रुक्तांकन शुल्क
विशेष शुल्क
सर्वा शुल्क 100/-
योग 200/-
राजेश्वरी
उप वंजीयक कुचामन सिटी

सत्य प्रतिलिपि
उप वंजीयक, कुचामन सिटी
मिना-डीडवाना-कुचामन

(2)

श्री.आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान जरिए अध्यक्ष श्री गोविन्दराम शेषमा पुत्र श्री श्यामगाराम शेषमा व मंत्री श्री जगदीशप्रसाद पुत्र नन्दलाल खोखर पढा जावें। इसके अलावा उपरोक्त पट्टा सं. 151/2002 में वर्णित तमाम तथ्य यथावत् रहेंगे। इस आशय का संशोधन करने हेतु नगरपालिका कुचामन सिटी के द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 (2) दिनांक 31.07.2007 की ठक में पारित हो चुका है।

यह शुद्धिपत्र स्टाम्प रुपये 100/- (एक सौ) नग-1 एवं पाईपेपर पर लिखा गया है, जिससे पट्टेदार पूर्ण रूप से सहमत है व पट्टेदार ने भी अपनी सहमति के हस्ताक्षर इस शुद्धिपत्र पर अंकित कर दिये हैं।

दिनांक :-

हस्ताक्षर पट्टेदार

गोविन्दराम शेषमा
जगदीश प्रसाद

गोविन्दराम
अध्यक्ष

नगरपालिका, कुचामन सिटी

(Handwritten Signature)

अधिसावी अधिकारी

नगरपालिका, कुचामन सिटी



सत्य प्रतिलिपि

डा. पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डोडवाना-कुचामन

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : KUCHAMAN CITY

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 25-06-2025 12:42 PM

Fee Receipt No	: 202502471004622	Receipt Date	: 25/06/2025
Name	: MAHENDRA KUMAR,	Document S. No.	: 202501471004528
Address	: ...		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 100
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 100
Surcharge	: ₹ 30	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 50
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
SiteInspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 280
		Other than Cash	: ₹ 280
		Total Amount	: ₹ 280

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 106937370 ₹ 280

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier

Signature of recipient

उपपंजीयक
कचामन सिटी (डीडवाना, कचामन)
SUB-REGISTRAR

11/06/2025 17:50:49

कार्यालय नगरपालिका मण्डल

563

कुचामन सिटी (नागौर) राज.

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिये भूकी गहा-दिल्लेरव

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 "ख" के प्रायधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 03.12.2003 को आयटन/पत्रावली संख्या पहा.सं. 563/2003 और दूसरी और

को राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है

श्री/श्रीमती श्री. वरमल पुत्र श्री. वेगाशम शोधक
 पुत्र/पत्नी श्री. श्री. कृती शंती शंकर
 जाति श्री. जगदीश प्रसाद शंकर
 निवासी जान
कुचामन सिटी



(जिनको इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबावत में ज. निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधी और मुन्तकील अलैड भी सम्मिलित हो

इस बात का साक्षी है कि रूपये 47,540/- अक्षर अंतर्गत पहा.सं. 563/2003 का लीज का

मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का यह तमाम प्लाट (जो इसके बाव उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है जो नगरपालिका क्षेत्र, कुचामन वार्ड नं. 15 में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारोंके अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. (अ.) पट्टेदार, नगर पालिका कुचामन के कार्यालय में अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित वर की 2.5% की वर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की वशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जायेगी।
(ब) वसूली वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित वर के बजाय केवल नियमन राशि की 2.5% प्रतिवर्ष की वर से देय होगी।
3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तांतरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आयटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण याजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्वैधित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।

सत्य प्रतिलिपि
 नगर पालिका कुचामन

अधिसाक्षी अधिकारी
 नगर पालिका, कुचामन सिटी

कुचामन सिटी

उप ध्वजियक, कुचामन सिटी
 जिला-डोडवाना-कुचामन

5000Rs.



8 DEC 2003



विक्रय पत्र सं. 563/63
 दिनांक 08/12/2003



[Signature]
 अधिकारी
 नगर पालिका, कुचामन सिटी

[Signature]
 नगर प्रमुख
 नगर पालिका कुचामन सिटी

सत्य प्रतिलिपि
 उप पंजीयक, कुचामन सिटी
 जिला-डोडवाना-कुचामन

5416

बजट प्रमाणिका काउन्सिल

~~प्रमाणिका~~

पत्रिका

35

30-12-2003

~~गोपनीय~~

स्थापित 1955

प्रकार का प्रकाशन

विषय

$5000 \times 1 = 5000/2$
 $500 \times 1 = 500/2$
 $50 \times 1 = 50/2$
5550/2

महेशलाल जग
 पत्रिका प्रकाशक
 दिल्ली (पत्रिका)

आज दिनांक 24/12/03 को समय 5PM
 उप पंजीयक कुचामन सिटी के कार्यालय
 में श्री E.O. को प्रमाणिका प्रमाणिका
 द्वारा प्रस्तुत किया गया।


उप पंजीयक कुचामन सिटी

पत्रिका संख्या 49
 दिनांक 31.12.03
 पंजीयन शुल्क 50/-
 प्रकाशन शुल्क 200/-
 प्रमाणिका शुल्क
 प्रमाणिका शुल्क
 प्रमाणिका शुल्क
 योग 701/-

उप पंजीयक कुचामन सिटी

सत्य प्रतिनिधि
 उप पंजीयक, कुचामन सिटी
 जिला-डोडवाना-कुचामन

500Rs.



7 6 DEC 2003

दिकय पत्र सं. 563/03
 नं. 823/03




अधिकाारी अधिकारी
 नगर पालिका, कुचामन सिटी

अध्यक्ष
 नगर पालिका कुचामन सिटी

सत्य प्रतिलिपि

उप-अधीक्षक, कुचामन सिटी
 जिला-डोडवाना-कुचामन

50 Rs.



18 DEC 2003

उपकोष जागाँ (

लिफ्ट नं. 563/03 1000



अध्यक्ष

अधिसापी अधिकारी
नगर पालिका, कुचामन सिटी



अध्यक्ष सिटी, कुचामन-नगरपालिका (सिटी)

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला डी.इ.वाना-कुचामन

5416

नागौर पंचायत 2003

कुचामन सिटी
पंचायत

जी. वि. रु. 35

30-12-2003

(Signature)

(Signature)

पञ्जाब
कृषि विभाग
राजस्थान (राज.)

बाण दिनांक 5/1/04 को मुद्रांक सं०...
जिल्ले सं०... 102... 54104
पर पंजीयक... जिल्ले सं०... 136 to 140
सं०... 185

उप पंजीयक कुचामन सिटी
जिला-नागौर (राज.)

(Signature)
उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-दीडवाना-कुचामन

नक्शा वास्ते कृषि भूमि नियमन -

श्री भंवरलाल शर्मा पुत्र
श्री गोरधनलाल शर्मा
की जमीन
161'

श्री भंवरलाल शर्मा पुत्र
श्री गोरधनलाल शर्मा
की जमीन

65'

160'

श्री गोविन्दराम वगैरह
की स्कूल

56'6"

श्री गुरुद्विंदु रॉड
की जमीन



आ म रा र ता


कुचामन सिटी के खसरा नं. 42 जालरा कुओं वार्ड नं. 15 मे स्थित श्री
जाबरमल पुत्र श्री बेगाराम व श्रीमती सन्तोष खोखर पत्नि श्री जगदीश प्रसाद
खोखर के प्लॉट का नक्शा जिसे आबादी में रूपांतरण कराना चाहते है।
माप जमीन-


उत्तर-दक्षिण	x	पूर्व-पश्चिम	= क्षेत्रफल
$\frac{160' + 161'}{2}$	x	65'0"	= 10432.50 वर्गफुट
$\frac{1}{2} \times 10'$	x	56'6"	= 282.50 वर्गफुट
		कुल	= 10715.00 वर्गफुट
			= 1190.55 वर्गगज
			= 995.30 वर्गमीटर

SCALE - 1" = 50'0"

Arch./Planner		SIGN OF APPLICANT
KALAKRITI CONSULTANTS NEAR CENTRAL BANK BUS STAND BUNCHAMAN CITY	PLOT AREA SHOWN IN RED	

3. शहरा जमाबन्दी का निवारण के कारण शहरा जमाबन्दी पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगा।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरा जमाबन्दी के कारण याजिय हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।


सत्य प्रतिलिपि
 उप-निदेशक, कुचामन सिटी
 जिला-नाला (म.प्र.)


अधिकारी
 सहायक निदेशक, कुचामन सिटी
 जिला-नाला (म.प्र.)

अपराध... 306
गोपनीयता की दरक्षा... 25-06-25
सोपान... 25-06-25
सोपान... 25-06-25
सोपान... 280
सोपान... 280
सोपान... 25-06-25

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : KUCHAMAN CITY

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 25-06-2025 12:27 PM


Fee Receipt No	: 202502471004618	Receipt Date	: 25/06/2025
Name	: MAHENDRA KUMAR,	Document S. No.	: 202501471004524
Address	: ...		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 100
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 30	Stamp Duty	: ₹ 100
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 50
SiteInspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 280
		Total Amount	: ₹ 280

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 106937621 ₹ 280

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier


Signature of recipient
and date of return receipt

उप पंजीयक
SUB-REGISTRAR
कुचामन सिटी (डी डी वी नो कुचामन)

025 17:55:19

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED

भारत INDIA INDIA NON JUDICIAL



राजस्थान RAJASTHAN

शुद्धि-पत्र

- निष्पादक :- नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी तहसील नांवा, नागौर, राजस्थान।
- बहक :- बी. आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान जरिए कोषाध्यक्ष श्री झाबरमल पुत्र श्री बेगाराम शेषमा एवं उपाध्यक्ष श्रीमति सन्तोष खोखर पत्नी श्री जगदीशप्रसाद खोखर निवासी कुचामन सिटी।

यह शुद्धिपत्र इस आशय का लिखा जाता है कि नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी के द्वारा पत्रावली संख्या 823/2003 के अनुसार पट्टा संख्या 563/2003 दिनांक 31.12.2003 को जारी किया गया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कुचामन सिटी के कार्यालय में दिनांक 05.01.2004 को क्र.सं. 54/04 के अनुसार हुआ था। उपरोक्त पट्टा संख्या 563/2003 में पट्टेदार का नाम जहां श्री झाबरमल पुत्र श्री बेगाराम शेषमा व श्रीमति सन्तोष खोखर पत्नी श्री जगदीशप्रसाद खोखर लिखा गया है, वहां पट्टेदार का सही रूप में...

(Signature)
 अध्यक्ष
 नगरपालिका, कुचामन सिटी

(Signature)
 अधिशासी अधिकारी
 नगरपालिका, कुचामन सिटी (2)

सत्य प्रतिलिपि
 उप पंजीयक, कुचामन सिटी
 जिला डीडवाना-कुचामन

5250
2018100

कार्यालय कुचामन सिटी जहाँ
रजिस्ट्री के शुद्धि कार्य हो रहे
आनन्द शर्मा

Disamp

[Signature]
प्रेम प्रसाद चौहान
मुख्य विवेका, परबतपुर (प)

राज दिनांक 14-9-02 को
उप पंजीयक कुचामन सिटी के कार्यालय
में श्री आशुवान सिंह या 20
रु 00 00 प्रमाणित किया गया
द्वारा प्रस्तुत किया गया।
[Signature]
उप पंजीयक कुचामन सिटी

[Signature]

सोद संख्या 22
दिनांक 14-9-02
पंजीयन शुल्क 100
मौका शुल्क
पृष्ठांक शुल्क
विधि शुल्क
कमी मुद्रांक शुल्क 1000
योग 200
[Signature]
उप पंजीयक कुचामन सिटी

[Signature]
सत्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक, कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन

(2)

.....नाम बी.आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान जरिए कोषाध्यक्ष श्री झाबरमल पुत्र श्री गंगाराम शेषमा व उपाध्यक्ष श्रीमति सन्तोष खोखर पत्नी श्री जगदीशप्रसाद खोखर पढा जावें। इसके अलावा उपरोक्त पढा सं. 563/2003 में वर्णित तमाम तथ्य यथावत् रहेंगे। इस आशय का संशोधन करने हेतु नगरपालिका कुचामन सिटी के द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 (2) दिनांक 31.07.2007 की बैठक में पारित हो चुका है।

यह शुद्धिपत्र स्टाम्प रूपये 100/- (एक सौ) नग-1 एवं पाईपेपर पर लिखा गया है, जिससे पट्टेदार पूर्ण रूप से सहमत है व पट्टेदार ने भी अपनी सहमति के इस्ताफा इस शुद्धिपत्र पर अंकित कर दिये है।

दिनांक :-

इस्ताफा पट्टेदार

Thabomal

सं तो

जोहरा
अध्यक्ष
नगरपालिका, कुचामन सिटी

प्रधानी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी



राम
नगरपालिका, कुचामन सिटी

सत्य प्रतिलिपि

नगरपालिका, कुचामन सिटी
जिला-डोडवाना-कुचामन

कार्यालय उप पंजीयक कुचामन सिटी

भाज यह दस्तावेज स्फुटिद फन

श्री आशुवान सिंह द्वारा 20

सं. 0-... को पिछले कृयापत्र

का प्रस्तुत कर निष्पादन कर श्री आर खोखर मेमोरिअल शिक्षण संस्थान

की राशि के गारास के एव उपाध्यक्ष श्रीमति सन्तोष खोखर

सिवाय कृयापत्र के द्वारा के कारवाय प्रतिकूल

कारवाय कर दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर के

वाचक निधान करना अनिवार्य है। पत्र के

पुराने की शर्तों के स्वीकार किया। निष्पादन

कार्य की शर्तों के स्वीकार किया। निष्पादन

की शर्तों के स्वीकार किया। निष्पादन

परिचित है अतः उपरोक्त पंजीयन हेतु स्वीकार

किया गया। दिनांक 14-9-07 प्रस्तुतकर्ता

उप पंजीयक कुचामन सिटी

जरिए कोषाध्यक्ष श्री शंकर मल 96 के गारास के एव उपाध्यक्ष श्रीमति सन्तोष खोखर
 W/o जगदीश पुस्तक खोखर

भाज दिनांक 26.9.07 को पुस्तक सं. 19
 जिल्द सं. 1/9 के पृष्ठ सं. 85 क्रम सं. 933/00
 पर पंजीयन किया गया तथा अतिरिक्त पु.
 सं. 1 जिल्द सं. 33 पृष्ठ सं. 291-292
 पर चर्चा किया गया। रश्मि

उप पंजीयक कुचामन सिटी
 जिला-नागौर (राज.)

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कुचामन सिटी
 जिला-डीडवाना-कुचामन

श्री राजेश्वर 303
 श्री स देवे की दरखास्त 25-06-25
 श्री रोमेश प्रदीप 25-06-25
 श्री स देवे का 25-06-25
 श्री स देवे का 25-06-25
 श्री स देवे का 25-06-25
 श्री स देवे का 25-06-25
 श्री स देवे का 25-06-25

